



कार्यालय सम्पत्ति/नजारत अनुभाग
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण
ए-1/4, लखनपुर, कानपुर।
निष्प्रयोज्य सामग्रियों की बिक्री / नीलामी हेतु सूचना

क्र० सं०	निष्प्रयोज्य सामग्रियों	न्यूनतम आरक्षित दर (रु०)	मात्रा	धरोहर धनराशि
1	IRON SCRAP	40.00	प्रति किलो	रु० 7,500.00
2	WOOD SCRAP	4.00	प्रति किलो	रु० 7,500.00
3	ALLUMINIUM SCRAP	140.00	प्रति किलो	रु० 7,500.00
4	WATER COOLER SCRAP	50.00	प्रति किलो	रु० 7,500.00
5	MOTOR+ CABLE SCRAP	70.00	प्रति किलो	रु० 7,500.00
6	FIRE EXTINGUISHER	44.00	प्रति किलो	रु० 7,500.00
7	TYRE SCRAP	10.00	प्रति किलो	रु० 7,500.00
8	LIGHT IRON SCRAP	36.00	प्रति किलो	रु० 7,500.00
9	OLD COMPUTER	800.00	प्रति पीस	रु० 7,500.00
10	OLD CPU	800.00	प्रति पीस	रु० 7,500.00
11	OLD PRINTER	700.00	प्रति पीस	रु० 7,500.00
12	OLD AC	4500.00	प्रति पीस	रु० 7,500.00
13	COMPUTER UPS WITH BATTERY	200.00	प्रति पीस	रु० 7,500.00
14	OLD NEWS PAPER	15.00	प्रति किलो	रु० 7,500.00
15	OLD TYPE WRITER MACHINE	500.00	प्रति पीस	रु० 7,500.00

नियम एवं शर्तः:-

- निष्प्रयोज्य सामग्रियों न्यूनतम आरक्षित मूल्य से कम दर पर नीलामी नहीं होगी। निविदादाताओं द्वारा जो भी अधिकतम बोली होगी उस मूल्य पर नियमानुसार जी०एस०टी० अतिरिक्त देय होगा।
- निष्प्रयोज्य सामग्रियों की निविदा हेतु निर्धारित धरोहर धनराशि रु० 7500/-का बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर यूपीएसआईडीसी लि० के नाम **Payable at Kanpur** के पक्ष में नीलामी की तिथि से एक दिन पूर्व अर्थात् दि० 14.06.2022 को सायं 05:00 बजे तक जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर के पीछे निविदादाता द्वारा अपना नाम व मोबाइल नं० जिसमें व्हाट्सअप संचालित किया जाता हो भी अंकित किया जायेगा। उक्त के साथ ही पहचान पत्र व पते से सम्बन्धित प्रपत्रों की छायाप्रतियाँ तथा निष्प्रयोज्य सामग्री का नाम जिसकी बोली में शामिल होना चाहता है कि सूची के साथ जमा करनी होगी।

3. यदि निविदादाता द्वारा एक से अधिक निष्प्रयोज्य सामग्री पर बोली लगाना चाहता है तो बोलीकर्ता को अलग-अलग धनराशि (सिक्योरिटी) रू0 7500/- प्रत्येक सामग्री हेतु जमा करना होगा।
4. प्रत्येक निविदादाता को नीलामी के समय अपनी फोटो, पहचान पत्र एवं पता प्रमाण पत्र की मूल प्रति दिखाना होगा।
5. नीलामी स्वीकृत होने से सम्बन्धित पत्र निर्गत होने के दिनांक से अवशेष समस्त धनराशि कर सहित एक सप्ताह के अन्दर जमा करना होगा तथा उसके उपरान्त 15 दिन के अन्दर निष्प्रयोज्य सामग्रियों को उठाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में रू0 100/- प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क अतिरिक्त देय होगा।
6. उच्चतम बोलीदाता को नीलामी के उपरान्त निर्धारित समयावधि में अवशेष धनराशि जमा करनी होगी, ऐसा न करने पर धरोहर धनराशि के रूप में जमा की गयी धनराशि यूपीएसआईडीसी लि0 कानपुर के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।
7. निष्प्रयोज्य सामग्रियों की नीलामी जहाँ है व जिस स्थित में है के आधार पर की जायेगी निविदादाताओं से अपेक्षा की जाती है कि नीलामी में बोली बोलने से पूर्व निष्प्रयोज्य सामग्रियों को कार्यस्थल पर जाकर किसी भी कार्यदिवस पर स्वयं देख परख ले। नीलामी के बाद यदि सामग्री में कमी इंगित की जाती है तो वह मान्य नहीं होगी।
8. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय बोली लगाने वाले क्रेता के अतिरिक्त अन्य की धरोहर राशि 07 दिन के बाद वापस कर दी जायेगी।